

अनुपूर पारपत्र सं० - 0809030

परिपत्र संख्या-विधि-2(1)फार्म मिसिंग-(1)(2008-2009)/

244 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 30 मई, 2008

विज्ञप्ति

विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम -2008 की धारा -81 को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

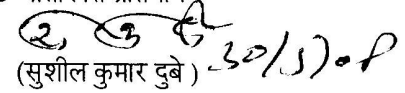
क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म की संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1	मेसर्स भारत मेटल वर्क्स 116/418-ए, रावतपुर, कानपुर	फार्म-3ख संख्या-146137 एवं 146138	खोने के कारण	02
2	सर्वश्री ए0जी0पैकेजिंग मीरपुर रोड, मझोली मुरादाबाद	फार्म 3ख संख्या 010866 से 010875 तक	खोने के कारण	10
3	सर्वश्री पन्ना लाल गुप्ता ग0व्या0, कबरई	फार्म-3ग (1) संख्या-084890	खोने के कारण	01
4	सर्वश्री गुप्ता ट्रेडर्स, ग0व्या0 कबरई	फार्म -3ग(1) संख्या-070980	खोने के कारण	01
5	सर्वश्री एकता आयल एण्ड दाल मिल महोबा	फार्म -3ग(1) संख्या -079081	खोने के कारण	01
6	सर्वश्री अग्रवाल इण्डस्ट्रीज हे0आ0गांधी गंज, शाहजहाँपुर, 30प्र0	फार्म-3ख संख्या 125361, 125362,125376,125377	खोने के कारण	04
7	सर्वश्री अग्रसेन फूड प्रोडक्ट, एफ-8एण्ड9 टिकरिया, इण्डस्ट्रियल स्टेट गौरीगंज, सुल्तानपुर	फार्म-3ख संख्या-289299, 289300, 289401,289402, 289403	खोने के कारण	05
8	मे0 गोयल क्वायर फोम (इण्डिया) प्रा0लि0 रजऊ, परसपुर, बरेली	फार्म-3ख संख्या-130761	खोने के कारण	01
9	सर्वश्री श्याम काटेज इण्ड0 90 इण्ड0 स्टेट कालपी रोड, कानपुर	फार्म-3ख संख्या-195457, 195458 व 195459	खोने के कारण	03


(आर0बी0श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृ०५०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- महालेखाकार, उ०प्र० 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 7- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 9- समस्त असिस्टेंट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 11- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- 12- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ ।


(सुशील कुमार दुबे)

वाणिज्य कर अधिकारी (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय ।